न्यायालय कलेक्टर, जिला रतलाम (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 49/अ–20(3)/2017–18

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 03/08/2018)

कार्यपालन यंत्री जल संसाघन संभाग रतलाम द्वारा पत्र पृष्टाकंन कमांक 2004/कार्य./वन भूमि/2018 दिनांक 11.05.2018 मय सहपत्रो के इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि नवीन प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त मादलियाधाट तालाब एवं रावटी वाला नाला (डाबडी) तालाब योजना के डुब में आ रही वन भूमि कमाशः 14.22 हेक्टर एवं 15.00 हेक्टर के स्थान पर राजस्व भूमि पिपलोदा तहसील के ग्राम कनसेर में सर्वे कमांक 116/2 रकबा 9.84 हेक्टर सर्वे कमांक 118/3 रकबास 16.24 हेक्टर एवं सर्वे कमांक 118/4 रकबा 27.65 हेक्टर राजस्व भूमि उपलब्ध है। उक्त भूमि पूर्व में नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर,नया नालाहेडा तालाब, कालीयाखोह तालाब एवं बाणदा तालाब योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले उपयोग हेतु उपलब्ध कराई गई थी। नीमच जिले की उक्त योजना की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त कर दी जाने से ग्राम कनसेर की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 118/4 रकबा 27.66 हेक्टर एवं सर्वे कमांक 118/3 रकबा 16.240 हेक्टर मेसे रकिबा 1.57 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 29.22 हेक्टर वन विभाग को आबंटित की जाने का अनुराध किया गया।

2/– कार्यपालन यंत्री जल संसाघन संभाग रतलाम के उपर्युक्त प्रस्ताव के संबध में नायब तहसीलदार पिपलोदा द्वारा जांच के कम में संबंधित पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की गई। नायब तहसीलदार, पिपलोदा द्वारा प्रकरण कमांक/01/अ–19–1/2017–18 में अपने जॉच प्रतिवेदन दिनांक 11.06.2018 में उक्त समस्त तथ्यो का उल्लेख करते प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में कलेक्टर भू–अभिलेख, रतलाम के आदेश कमांक/733/भू.अ./वन.सी./लेण्ड बैंक/2008 दिनांक 01.05.2008 के आदेशानुसार नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर,नया नालाहेडा तालाब, कालीयाखोह तालाब एवं बाणदा तालाब योजना से प्रभवित वन भूमि के बदले उपयोग हेतु उपलब्ध कराई गई थी। नीमच जिले की उक्त योजना की प्रशासयकीय स्वीकृति निरस्त होने से वन विभाग को दी गई भूमि शिथिल होने से उक्त आदेश को निरस्त कर इसके स्थान पर मादलियाधाट तालाब एवं रावटी वाला नाला (डाबडी) तालाब योजना के डुब में आ रही वन भूमि कमाशः 14.22 हेकअर एवं 15.00 हेक्टर के स्थान पर ग्राम कनसेर तहसील पिपलोदा की शसकीय भूमि सर्वे कमांक 118/4 रकबा 27.66 हेक्टर एवं सर्वे कमांक 118/3 रकबा 16.240 हेक्टर मेसे रकबा 1.57 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 29.22 हेक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, जावरा को भिजवाया गया। अनुविभागीय अधिकारी,जावरा द्वारा नायब तहसीलदार, पिपलोदा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण मय अनुशंसा के इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

निर.........2

कलेक्टर
जिला-रतलाम

Scanned by CamScanner

प्रकरण क्रमांक 49/अ–20(3)/2017–18

अतः कार्यपालन यंत्री जल संसाघन संभाग रतलाम के अनुरोध एवं अधीनस्थों के जॉच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा की सहमति के आधार पर पूर्व में इस न्यायालय के आदेश कमांक/ 733/भू.अ./वन.सी./लेण्ड बैंक/2008 दिनांक 01.05.2008 को निरस्त करते हुए मादलियाधाट तालाब एवं रावटी वाला नाला (डाबडी) तालाब योजना के डुब में आ रही वन भूमि कमाशः 14.22 हेकअर एवं 15.00 हेक्टर के स्थान पर ग्राम कनसेर तहसील पिपलोदा की शसकीय भूमि सर्वे कमांक 118/4 रकबा 27.66 हेक्टर एवं सर्वे कमांक 118/3 रकबा 16.240 हेक्टर मेसे रकबा 1.57 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 29.22 हेक्टर भूमि वन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार–2 की कंडिका 05 के तहत हस्तांतरित की जाती हैं।

कलेक्टर
जिला रतलाम

पृ.क्रमांक 2005/रीडर/2018 रतलाम दिनांक 4/08/2018

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंधन वन विभाग, म.प्र. शासन भोपाल।
2. वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4. वनमण्डलाधिकारी, रतलाम।
5. वन परिक्षैत्राधिकारी, वनपरिक्षैत्र रतलाम
6. कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभागसंभग रतलाम
7. अनुविभागीय अधिकारी जावरा/सैलाना।
8. तहसीलदार तहसील जावरा/रावटी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला रतलाम

Scanned by CamScanner